न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)
रेफरेंस प्रार्थना पत्र संख्या 110/2021
निर्णय दिनांक – 30.05.2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी जिला जयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. लाला पुत्र भूरा जाति रैगर निवासी हचुकडा तहसील फागी जिला जयपुर।

– अप्रार्थी

निर्णय

रेफरेंस प्रार्थना पत्र जरिये तहसीलदार फागी राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 व 83 के अन्तर्गत आराजी खसरा संख्या 126/1/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी–3 की खातेदारी निरस्त फरमाकर भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज करने बाबत।

प्रार्थी तहसीलदार फागी जिला जयपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 व 83 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

1. यह कि विवादित आराजी ख.नं. 126 रकबा 6–03 किस्म गै0मु0 नाला वाके ग्राम हचुकडा तहसील फागी जिला जयपुर की सेटलमेंट खतौनी संवत् 2011–30 में राजकीय भूमि अंकित है।
2. यह कि वर्तमान में उक्त भूमि लाला पुत्र भूरा जाति रैगर निवासी हचुकडा गैर खातेदार ख.स. 126/1/2 रकबा 4–10 बारानी–3 की खातेदारी/गैरखातेदारी अंकित है।
3. यह कि उक्त आराजीयात नामा0 सं0 169 दिनांक 20.09.1978 के द्वारा लाला पुत्र भूरा रैगर सा0 देह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है।
4. यह कि उक्त भूमि गै0मु0 नाला किस्म होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार हस्तांतरित/खातेदारी नहीं हो सकती है अतः धारा 82 के तहत रेफरेंस प्रकरण प्रस्तुत कर नामान्तकरण संख्या 169 दिनांक 20.09.1978 को निरस्त फरमाकर भूमि को पुनः सिवायचक लगानी दर्ज करने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण के तामील नोटिस अप्राप्त होने पर पुनः तहसीलदार फागी जिला जयपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार फागी के पत्रांक एलआर/2018/6955 दिनांक 16.10.2018 के अनुसार अप्रार्थी लाला पुत्र भूरा अविवाहित ही फौत हो चुका है, जिसके कोई वारिसान नहीं है। तथा उक्त भूमि मौके पर खाली पडी है, ना ही उक्त भूमि पर किसी का कब्जा है। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाला होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अब्दूल रहमान बनाम राज्य सरकार में दिये गये निर्णय अनुसार हस्तान्तरित/खातेदारी नहीं हो सकती है। इस कारण प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार करने हेतु राजस्व मण्डल को प्रेषित करने हेतु निवेदन किया ।

हमनें पैराकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का भी अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि साबिक आराजी खसरा नं. 126 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा किस्म गै0मु0नाला वाके ग्राम हचुकडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जो कि वर्तमान में लाला पुत्र भूरा जाति रैगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

सिवायी हनुमकका गैर खातेदार खसरा नं0 126/1/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी-3 अंकित है। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 16 के तहत नाडी की भूमि को खातेदारी अधिकारी नहीं दिया जा सकता।

रेफरेंस प्रकरण स्वीकार किया जाकर जाता है। अतः तहसीलदार फागी को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 126 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन नाडी ग्राम हनुमकका तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जो कि वर्तमान में लाला पुत्र भूरा जाति रैगर सिवायी हनुमकका गैर खातेदार खसरा नं0 126/1/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी-3 दर्ज है। नामान्तरण संख्या 169 दिनांक 20.09.1979 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि की निजी खातेदारी निरस्त करने एवं भूमि को वापिस राजस्व रिकार्ड सरकारी खाते में दर्ज करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रेफरेन्स किया जाता है। पत्रावली आदेश की अतिरिक्त प्रतियों के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 30.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दूदू